## F13/225/15/1/25

19 44: - 41 Tag 1-95 Hig COP 2426 15 - ATHON ३ वन / १८६७ ८मार्थ्याम । जेला विवमानाति सक्ति। में मामिला क्षित्रम्वत अगरेवासी विकास मा य भीयाल TEC 374/9- 81 474/7 EN 170/4-40310 मिमिष्का. अगमकीर् अनुविवयन दि। भारति 137 मान माप हमा है। 9 441 अवद्यापनाम एवं ३५ 100 ग्राचित्रा क्रमांत्र २४१६/15 दारा श्रीमाति संपूर्ण नारद्धाम जिला उज्जेन विरुद्ध म. य. शासन में माननीय उच्ये व्यायासिय इन्दौर दाना पारित अपदेश दिलां १ २.9.15 विरुद्ध निट अपीत् दायर द्वार दान यस्ताव C.T.D. व्हारा स्थित श्रिया है । उत्त प्रकान पर मान. यात्री की प्रशास्त्रीय अन्मादन पिया गया है। अतः गरेट अपील दायर हरने की अनमात पाप्त दूरने तेत जस्ती "विद्य विभाग" अस्ता चारों।

## F13/225/15/1/21

छब्बीस-२ सचिवालय

विष्यः - पानिषा प्रमाव 100 2426/15 - मोमतः रम्प्राः सारदक्षा एकाराधितः विषयः है क्लेम

का विभाग

विषय-याचिका कमांक डब्ल्यू पी 2426 / 15 श्रीमती संपूर्णा भारद्धाज व्याख्याता जिला उज्जैन पूर्व पृष्ठ से :-

विषयांतर्गत, श्रीमती संपूर्णा भारद्वाज व्याख्याता (प्रतिनियुक्ति) पर शिक्षा विभाग में पदस्थ शा.क.उ.मा.वि. धानमंडी उज्जैन व्वारा आदिवासी विकास विभाग से शिक्षा विभाग में संवितियन हेतु या उच्च न्यायालय इंदौर में रिट याचिका कमांक 2426/15 दायर की गई ,जिसकी प्रतितिपि संलग्न है । उक्त याचिका में माननीय न्यायालय व्वारा पारित आदेश दिनांक 2.9.15 में आदिवासी विकास विभाग व्यारा श्रीमती संपूर्णा भारद्वाज व्याख्याता का शिक्षा विभाग में पूर्व में की गई प्रतिनियुक्ति को समाप्त करने वाले कार्यालयीन आदेश कमांक शिक्षारथा /2/384/2044/23953 दिनांक 5.12.14 (प्रतिलिपि संलग्न ) को अपास्त कर, योग्य पाये जाने पर श्रीमती भारद्वाज का शिक्षा विभाग में संवितियन करने हेतु आदेश पारित किया गया है । मा.उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ में प्रस्तुत याचिका में शिक्षा विभाग के साध —साध आदिवासी विकास विभाग को प्रत्यार्थी बनाया गया है । शिक्षा विभाग व्वारा उक्त पारित निर्णय के विरुद्ध रिट अपील प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कार्यवाही की जा रही है ।

2. प्रस्तुत याचिका में पारित निर्णय दिनांक 2.9.15 का पालन नही होने से अवमानना याचिका कमांक 85% / 15 प्रस्तुत की गई है । प्रकरण में संक्षेपिका तथा शासकीय अधिवक्ता का अभिमत पत्र दिनांक 14.10.15 की छाया प्रति संलग्न है । कृपया रिट अपील किये जाने बाबत विधि विभाग से अनुमति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है ।

संलग्नः-उपरोक्तानुसार

प्रात प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश प्राप्त कल्याण विभाग मंत्रालय भाग मित्रालय भाग विभाग मंत्रालय भाग विभाग भाग विभाग भाग विभाग विभाग

3-3-16

418

# HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: BENCH AT INDORE BEFORE S. B: HON'BLE MRS. JUSTICE S.R. WAGHMARE

#### Writ Petition No.2426/2015

Smt. Sampurna Bhardwaj

VS

State of Madhya Pradesh and 6 others



Shri Shri AjayGupta, learned Counsel for the petitioner
Ms. Mini Ravindran, learned Govt. Advocate for the
respondents/State.

#### ORDER

Passed on 2 / 09/2015

#### Per Mrs. S.R. Waghmare, J.


By this petition under Article 226 of the Constitution of India, petitioner Smt. Sampurna Bhardwaj has challenged the order dated 5/12/2014 whereby instead of absorbing the petitioner's services, she has been transferred on deputation and there is a repatriation order, which is bad in law.

02. Briefly stated the facts of the case are that the petitioner was initially appointed on the post of

0.3.16



सुधीर कुमार जैन संभागीय उपायुक्त



## कार्यालय संभागीय उपायुक्त आदिवासी तथा अनुसूचित जाति विकास उज्जैन संभाग उज्जैन

अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक/संउ/आजा/...237 उज्जैन, दिनांक ..09/02/2016

विषय :-

अवमानना प्रकरण कमांक 858 / 15 श्रीमती संपूर्णा भारद्वाज व्याख्याता जिला उज्जैन विरुद्ध म०प्र० शासन एवं अन्य ।

### आद्रवीयं महोदय

कृपया पार्श्व में अंकित पत्र का अवलोकन कीजिये । विषयांकित प्रकरण में आपके स्तर से संदर्भित पत्र के संलग्न प्राप्त अभिलेखों के साथ वादोत्तर प्रस्तुत करने हेतु शासकीय अधिवक्ता मान० उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर में समक्ष में उपस्थित होकर सम्पर्क किया गया । शासकीय अधिवक्ता द्वारा अवगत कराया गया कि श्रीमती संपूर्णा भारद्वाज व्याख्याता के याचिका प्रकरण कमांक 2426/15 में मान० न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के पालन में याचिकाकर्ता को आपके द्वारा दिनांक 22.12.2015 को समक्ष में सुनवाई हेतु उपस्थित होने हेतु सूचना दी गई किन्तु याचिकाकर्ता उपस्थित नहीं हुई । पुनः आपके द्वारा दिनांक 1. 1.2016 को उपस्थित होने हेतु संबंधित श्रीमती भारद्वाज को सूचना दी गई जिसके पालन में वह बिना अभिलेख के साथ आपके समक्ष में उपस्थित हुई एवं अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 5.1.2016 का समय मांगा गया जो आपके द्वारा दिया गया, परन्तु श्रीमती भारद्वाज नियत दिनांक 5.1.2016 को आपके कार्यालय में उपस्थित नहीं होने के कारण प्रकरण में समक्ष में सुनवाई नहीं हो सकी हैं ।

अतः प्रकरण में पुनः याचिकाकर्ता श्रीमती भारद्वाज को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए अभिलेख सहित समक्ष में सुनवाई हेतु उपस्थित होने बाबद् सूचना पत्र जारी किये जाने के संबंध में शासकीय महाधिवक्ता द्वारा अवगत कराया गया हैं ।

अतः शासकीय अधिवक्ता मान० उच्च न्यायायलय खण्डपीठ इन्दौर द्वारा समक्ष में दिये गये निर्देशानुसार उक्त अवमानना प्रकरण में याचिकाकर्ता

आपका कार्यालयीन पत्र कमांक / स्था. /2/369/2016/ 2843 भोपाल दिनांक 5.2.2016

10 FEB 2016

320

Bus

- yat: (B)-3.16

1

(2)

श्रीमती भारद्वाज को अभिलेख सहित समक्ष में सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए गुण दोष के आधार पर शिक्षा विभाग में प्रतिनियुक्ति अवधि आगे न बढ़ाने और शिक्षा विभाग में संविलियन हेतु श्रीमती भारद्वाज की सेवाएं उपलब्ध न करा पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए एक स्पीकिंग आदेश आपके स्तर से पारित करने का कष्ट करें तािक उक्त अवमानना याचिका प्रकरण में मान० उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर में वादोत्तर प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही की जा सके।

21182

भवदीय,

्रीयो ( सुधीर कुमार जैन )

प्रति

Ne folder kh

श्री शोभित जैन, आयुक्त आदिवासी विकास. म0प्र0भोपाल